



## सरकारी पॉलिटेक्निक / डिप्लोमा संस्थान

### यह संस्थान क्या है

सरकारी पॉलिटेक्निक एक राज्य-संचालित तकनीकी शिक्षा संस्थान है जो यांत्रिक, विद्युत, सिविल, कंप्यूटर विज्ञान, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम (6 सेमेस्टर) प्रदान करता है। प्रवेश की पात्रता आमतौर पर 10वीं / माध्यमिक विद्यालय प्रमाण-पत्र (SSC) उत्तीर्ण है। डिप्लोमा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI, छोटे, शिल्प-आधारित) और इंजीनियरिंग कॉलेजों (4-वर्षीय प्रौद्योगिकी स्नातक, B.Tech) से अलग है, और B.Tech कार्यक्रम के दूसरे वर्ष में सीधे पार्श्व प्रवेश की अनुमति देता है, जिससे यह विद्यालय और पेशेवर इंजीनियरिंग के बीच एक सेतु बनता है। कुछ पॉलिटेक्निक पॉलिटेक्निक के माध्यम से सामुदायिक विकास (CDTP – Community Development Through Polytechnics) कार्यक्रम के अंतर्गत समुदाय के लिए अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम भी चलाते हैं।

#### यह आपके लिए क्यों मान्य रखता है

यदि आप कक्षा 10 उत्तीर्ण कर चुके हैं और एक तकनीकी योग्यता चाहते हैं जो नौकरियों और आगे की पढ़ाई दोनों तक पहुँचाए, तो सरकारी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा सबसे प्रत्यक्ष मार्गों में से एक है। यह इंजीनियरिंग डिग्री से कम खर्चीला है और आपको B.Tech में पार्श्व प्रवेश के लिए योग्य बनाता है।

### प्रशासन

कानून / नीति	दायरा
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (AICTE) अधिनियम, 1987	AICTE अनुमोदन अनिवार्य; न्यूनतम अवसंरचना, संकाय, और पाठ्यक्रम मानदंड निर्धारित करता है
राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड नियम शिक्षा अधिनियम, 1961	राज्य बोर्ड परीक्षाएँ संचालित करता है और डिप्लोमा प्रदान करता है पॉलिटेक्निक स्नातक सार्वजनिक और निजी इकाइयों में प्रशिक्षुता के लिए पात्र
AICTE अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक	प्रवेश संख्या, संकाय, प्रयोगशालाओं, और सुविधाओं के लिए मानदंड निर्धारित करती है (वार्षिक रूप से संशोधित)

- **केंद्र:** AICTE (राष्ट्रीय अनुमोदन और मानदंड)
- **राज्य:** राज्य तकनीकी शिक्षा विभाग → तकनीकी शिक्षा निदेशालय → राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड
- **संस्थान:** प्रधानाचार्य
- **वित्त-पोषण:** मुख्यतः राज्य द्वारा वित्त-पोषित; उपकरण और संकाय विकास के लिए AICTE अनुदान

### प्रमुख पद

पद	उत्तरदायित्व
प्रधानाचार्य	संस्थान के प्रमुख; प्रशासन, बजट, संकाय तैनाती
विभागाध्यक्ष (HOD)	प्रति विभाग एक; पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला संसाधनों का प्रबंधन
शिक्षण संकाय (राज्य संवर्ग के अनुसार लेक्चरर / सीनियर लेक्चरर या सहायक/सह/पूर्ण प्रोफेसर)	सिद्धांत और प्रायोगिक कक्षाएँ संचालित करते हैं; AICTE योग्यता मानदंडों को पूरा करते हैं
प्रशिक्षण एवं नियुक्ति अधिकारी (TPO)	विद्यार्थियों को प्लेसमेंट और प्रशिक्षुता के लिए उद्योग से जोड़ते हैं
CDTP समन्वयक	जहाँ संचालित हो, अल्पकालिक सामुदायिक कौशल पाठ्यक्रमों का प्रबंधन करते हैं
कार्यशाला प्रशिक्षक	प्रायोगिक कार्यशालाएँ और प्रयोगशालाएँ चलाते हैं



AICTE मानदंड डिप्लोमा स्तर पर 1:25 के संकाय:विद्यार्थी अनुपात की आवश्यकता रखते हैं – एक प्रधानाचार्य, प्रति विभाग एक विभागाध्यक्ष, और शेष संकाय स्वीकृत प्रवेश संख्या के आधार पर गणना (अनुमोदन प्रक्रिया हैंडबुक (APH) 2024-27, अनुलग्नक-5)। जहाँ लागू हो, पॉलिटेक्निक एक संकाय सदस्य को राष्ट्रीय सेवा योजना (NSS) यूनिट का नेतृत्व करने के लिए **NSS कार्यक्रम अधिकारी** के रूप में नामित करते हैं (शिक्षण संकाय से चुना गया, 3+2 वर्ष का कार्यकाल); राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) उप-यूनिट का प्रबंधन करने के लिए एक **एसोसिएट NCC अधिकारी (ANO)** (3 वर्ष की सेवा वाले स्थायी शिक्षण स्टाफ, 3-माह का अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (OTA) प्रशिक्षण); और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति आवेदनों के प्रथम-स्तरीय सत्यापन के लिए एक **संस्थान नोडल अधिकारी (INO)** नामित करते हैं।

### अनिवार्य सेवाएँ

- AICTE-अनुमोदित शाखाओं में हर सेमेस्टर प्रायोगिक प्रशिक्षण के साथ 3-वर्षीय डिप्लोमा कार्यक्रम संचालित करना
- राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड के माध्यम से सेमेस्टर परीक्षाओं का संचालन
- डिप्लोमा धारकों के लिए B.Tech के दूसरे वर्ष में पार्श्व प्रवेश मार्ग की सुविधा प्रदान करना
- कैम्पस भर्ती ड्राइव आयोजित करना और TPO के माध्यम से रोजगार परिणामों पर नज़र रखना
- पॉलिटेक्निक स्नातकों के लिए प्रशिक्षुता संबंध की सुविधा
- जहाँ संचालित हो, सामुदायिक सदस्यों के लिए CDTP अल्पकालिक कौशल पाठ्यक्रम चलाना; CDTP के मूल कार्य आवश्यकता-मूल्यांकन सर्वेक्षण, कौशल-विकास प्रशिक्षण, उपयुक्त प्रौद्योगिकियों का स्थानांतरण, तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहायता सेवाएँ, और आसपास के गाँवों में सूचना प्रसार / जागरूकता कार्यक्रम हैं
- संचालित राष्ट्रीय एवं राज्य निर्देशों के अनुसार NSS / NCC यूनिट (जहाँ उपस्थित हों) और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियाँ चलाना; AICTE मानदंडों के तहत खेल और क्रीड़ा सुविधाएँ अपेक्षित हैं
- AICTE APH (§§6.47-6.50) के अनुसार चार अनिवार्य समितियाँ गठित करना: रैगिंग-विरोधी, शिकायत निवारण, SC/ST, महिला आंतरिक समिति
- **ट्यूशन शुल्क माफी (TFW) योजना** का क्रियान्वयन – सभी AICTE-अनुमोदित तकनीकी संस्थानों में ₹8 लाख से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाले विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य; स्वीकृत प्रवेश-संख्या से अतिरिक्त सीटें

### संबंधित योजनाएँ

- **AICTE प्रगति छात्रवृत्ति** – AICTE-अनुमोदित संस्थानों में महिला विद्यार्थियों के लिए ₹50,000 प्रति वर्ष
- **AICTE सक्षम छात्रवृत्ति** – दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए ₹50,000 प्रति वर्ष
- **पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ (राज्य)** – अनुसूचित जाति (SC) / अनुसूचित जनजाति (ST) / अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) विद्यार्थियों के लिए शुल्क और जीविका को कवर करती हैं
- **NAPS (राष्ट्रीय प्रशिक्षु प्रोत्साहन योजना)** – पॉलिटेक्निक स्नातक प्रशिक्षुता के लिए वजीफा सहायता
- **CDTP** – जहाँ संचालित हो, सामुदायिक कौशल विकास के लिए अल्पकालिक पाठ्यक्रम

### पता कैसे लगाएँ

**पोर्टल:** पॉलिटेक्निक खोजकर्ता: [dashboard.aishe.gov.in/hedirectory/](https://dashboard.aishe.gov.in/hedirectory/) (स्टैंडअलोन-संस्थान दृश्य पर जाएँ)।

**इसके अलावा:** राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय (DTE) की वेबसाइटें देखें: UP ([bteup.ac.in](https://bteup.ac.in)), MP ([dte.mponline.gov.in](https://dte.mponline.gov.in)), राजस्थान ([dte.rajasthan.gov.in](https://dte.rajasthan.gov.in)), बिहार ([sbtebihar.gov.in](https://sbtebihar.gov.in)), हरियाणा ([hsbte.org.in](https://hsbte.org.in))

### प्रमुख सुविधाएँ

एक क्रियाशील सरकारी पॉलिटेक्निक में होनी चाहिए: सभी अनुभागों के लिए कक्षाएँ, समर्पित शाखा-विशिष्ट प्रयोगशालाएँ, फिटिंग, वेल्डिंग, बढ़ईगरी, और मशीन शॉप के अनुभागों वाली एक केंद्रीय कार्यशाला, तकनीकी संदर्भों के साथ एक पुस्तकालय, पर्याप्त छात्र-कंप्यूटर अनुपात के साथ एक कंप्यूटर केंद्र, एक ड्राइंग हॉल, इंटरनेट कनेक्टिविटी, खेल सुविधाएँ, और प्लेसमेंट समन्वय के लिए एक TPO कार्यालय।

AICTE मानदंड संस्थान के निर्मित क्षेत्र को तीन क्षेत्रों में विभाजित करते हैं – शिक्षण (कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, कार्यशालाएँ, ड्राइंग हॉल, पुस्तकालय, कंप्यूटर केंद्र), प्रशासनिक (प्रधानाचार्य का कार्यालय, विभागीय कार्यालय, संकाय कक्ष), और सुविधाएँ (लड़कों/लड़कियों के लिए अलग शौचालय, स्टाफ कक्ष, पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, बाधा-मुक्त पहुँच)। न्यूनतम संस्थागत सुविधाओं में कक्षाएँ, ट्यूटोरियल



कक्ष, सेमिनार हॉल, प्रयोगशालाएँ, कार्यशाला, कंप्यूटर केंद्र, ड्रॉइंग हॉल, पुस्तकालय, और भाषा प्रयोगशाला शामिल हैं। प्रत्येक विभाग में कम से कम 20 कंप्यूटर वाली एक अलग कंप्यूटर प्रयोगशाला होनी चाहिए (AICTE APH अनुलग्नक-3, NOTE 10)। पुस्तकालय वाचनालय की बैठक क्षमता कुल विद्यार्थियों के कम से कम 15% (अधिकतम सीमा 150) होनी चाहिए, डिजिटल पुस्तकालय और ऑनलाइन-पाठ्यक्रम पहुँच के लिए 10% तक के विद्यार्थियों (अधिकतम 30) को कवर करने वाले मल्टीमीडिया PC के साथ; पुस्तकालय गैर-कार्य दिवसों पर भी खुला रहना चाहिए। संस्थान में प्रति विभाग कम से कम एक स्मार्ट क्लासरूम, MOOCs (Massive Open Online Courses – दीक्षा/ SWAYAM जैसे ऑनलाइन पाठ्यक्रम) सुविधा केंद्र / SWAYAM (Study Webs of Active-Learning for Young Aspiring Minds) पहुँच, और एक नवाचार लैब / FABLAB / IDEA LAB / टिंकरिंग प्रयोगशाला भी होनी चाहिए। इनडोर और आउटडोर खेल सुविधाओं वाले खेल के मैदान के लिए पर्याप्त स्थान (स्वामित्व या किराये पर) आवश्यक है – संस्थान इसे परिसर में या आसपास के संस्थानों, निगम मैदानों, या निजी सुविधाओं के साथ व्यवस्थाओं के माध्यम से पूरा कर सकता है (AICTE APH 2024-27, §6.31)।

### एक क्रियाशील सरकारी पॉलिटेक्निक कैसा दिखता है

- कार्यशालाओं और प्रयोगशालाओं में कार्यशील मशीनें हैं और हाल की प्रायोगिक कक्षाओं के साक्ष्य हैं
- संकाय पद सभी विभागों में काफी हद तक भरे हुए हैं
- TPO के पास पिछले स्नातक बैच का प्लेसमेंट डेटा विशिष्ट संख्याओं के साथ है
- जहाँ कार्यक्रम संचालित है, वहाँ सामुदायिक सदस्यों को CDTP अल्पकालिक पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं
- जहाँ स्वीकृत हो, महिला विद्यार्थियों की छात्रावास तक पहुँच है
- विद्यार्थी B.Tech में पार्श्व प्रवेश मार्ग और प्रशिक्षुता अवसरों के बारे में जागरूक हैं

### शिकायत निवारण

**सेवा वितरण के दौरान।** पहला संपर्क बिंदु प्रधानाचार्य हैं, और मामला-विशिष्ट मुद्दों के लिए विभागाध्यक्ष, TPO, या CDTP समन्वयक। राज्य संयुक्त निदेशक तकनीकी शिक्षा राज्य बोर्ड के अंदर वृद्धि-बिंदु संभालते हैं।

**सेवा के बाद।** मामला राज्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय और राज्य तकनीकी शिक्षा बोर्ड तक बढ़ाया जाता है। AICTE-अनुमोदन अनुपालन के मुद्दे AICTE के क्षेत्रीय कार्यालय तक जाते हैं।

**बाहरी।** AICTE एक समर्पित छात्र शिकायत प्रकोष्ठ और [aicte-india.org/grievance](http://aicte-india.org/grievance) पर एक सार्वजनिक शिकायत पोर्टल चलाता है। केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (CPGRAMS, [pgportal.gov.in](http://pgportal.gov.in)) शिक्षा मंत्रालय और AICTE की शिकायतें संभालती हैं। राष्ट्रीय रैगिंग-विरोधी हेल्पलाइन (1800-180-5522) के पास वैधानिक क्षेत्राधिकार है। प्रशिक्षुता शिकायतें [apprenticeshipindia.gov.in](http://apprenticeshipindia.gov.in) के माध्यम से जाती हैं।